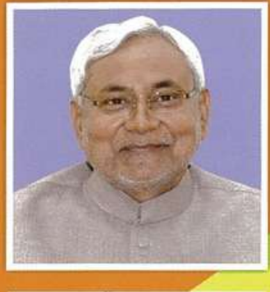

नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

तारकिशोर प्रसाद
उपमुख्यमंत्री, बिहार

रेणु देवी
उपमुख्यमंत्री, बिहार

जीवेश कुमार
श्रम संसाधन मंत्री

श्रमिक कल्याण

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

निर्माण कामगार कई श्रम कानूनों से आच्छादित हैं, परन्तु निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष श्रम कानूनों की आवश्यकता महसूस करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दो श्रम कानून बनाये गये :-

1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996
2. भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रथम कानून को लागू करने के लिये, ''बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) नियमावली, 2005 एवं ''बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016'' अधिसूचित किया गया है। द्वितीय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमावली केन्द्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है।

इन कानूनों में निर्माण मजदूरों की कार्यदशाओं, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के प्रावधान किये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियमों तथा नियमावली द्वारा प्रावधानित कार्यकलापों के संचालन के लिए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

निर्माण श्रमिक

किसी भवन या निर्माण कार्य जो इस अधिनियम की धारा 2(e) में परिभाषित है यथा कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करता हो, किन्तु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य

बिहार राज्य में निर्माण कार्य में निम्न कोटि के असंगठित कामगार आते हैं :- (1) भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार, (2) राज मिस्त्री, (3) राज मिस्त्री का हेल्पर, (4) बढ़ई, (5) लोहार, (6) पेंटर (7) भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रिशियन, (8) भवन में फर्श / फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक, (9) सेंट्रिंग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले, (10) गेट ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले, (11) कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले, (12) महिला कामगार (रेजा) जो सीमेन्ट, गारा मिक्स ढोने का कार्य करती है, (13) रौलर चालक, (14) सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर (15) सड़क, पुल बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर, (16) बांध, पुल संड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार, (17) भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर इत्यादि (18) ईट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर, (19) रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार (20) मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर)। उपरोक्त सभी कार्य दृष्टांतयुक्त हैं। इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है।

❖ कारखाना अधिनियम, 1948 एवं खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक इसमें शामिल नहीं है।

निर्माण कामगारों का पंजीयन

(क) कल्याण बोर्ड से संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना एवं बोर्ड का सदस्य रहना आवश्यक है। पंजीयन के पश्चात् ही उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकती है।

(ख) वैसे निर्माण कामगार जो 18 वर्ष की आयु का हों लेकिन 60 वर्ष पूर्ण नहीं किये हों कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकते है।

(ग) निबंधन शुल्क ₹20/-(रूपये बीस) है तथा मासिक अंशदान 50 पैसे प्रति माह के दर से एक मुश्त 5 वर्ष के लिए निबंधन के समय ₹30/- (रूपये तीस) अर्थात् निबंधन एवं अंशदान शुल्क एकमुश्त ₹50/-(रूपये पचास) देय है। 5 वर्ष बाद श्रमिक को पुनः नवीकरण करवाना होगा। अंशदान समय से जमा नहीं करवाने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी तथा श्रमिक को किसी प्रकार का लाभ बोर्ड से प्राप्त नहीं होगा।

(घ) यदि निबंधित निर्माण श्रमिक की सदस्यता ससमय अंशदान जमा न करने के कारण टूट गई हो तो इस टूट को निबंधन पदाधिकारी के द्वारा पुर्नजीवित किया जा सकता है। वशर्ते कि निर्माण श्रमिक टूट की अवधि का बकाया अंशदान 50 पैसे प्रति माह की दर से बोर्ड के कोष में जमा कर दे, परन्तु इस प्रकार सदस्यता दो बार से अधिक पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

(ङ) निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड (अनिवार्य), बैंक खाता, उम्र का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ESIC/ स्कूल प्रमाण पत्र/ जन्म प्रमाण पत्र/चिकित्सा पदा0 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जो सरकारी सेवा में सहायक सिविल सर्जन के नीचे स्तर का न हो), नियोजक द्वारा 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र, दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ नियोजक द्वारा कार्य का प्रमाण नहीं देने की स्थिति में 90 दिनों का कार्य करने के संबंध में स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे निर्माण स्थलों पर जाकर संबंधित पंचायत रोजगार सेवक (PRS) /श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी कार्यरत निर्माण श्रमिकों का आवेदन, वांछित कागजात विहित शुल्क के साथ प्राप्त करेगें। पंचायत रोजगार सेवक (PRS) प्राप्त आवेदन पत्रों को अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। PRS से प्राप्त आवेदन का कम से कम 5 प्रतिशत जाँच श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी द्वारा भी कर लिया जाएगा। सुयोग्य आवेदकों का निबंधन, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, (जो स्वयं निबंधन पदाधिकारी घोषित हैं) के द्वारा आधार कार्ड सत्यापन के बाद किया जायेगा।

इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक द्वारा निर्माण स्थलों पर जाकर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का आवेदन व वांछित कागजात विहित शुल्क के साथ प्राप्त करेंगे। श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ श्रम अधीक्षक को उपलब्ध कराएगें। श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी से प्राप्त आवेदन का कम से कम 5 प्रतिशत जाँच श्रम अधीक्षक द्वारा भी कर लिया जाएगा। सुयोग्य आवेदकों का निबंधन श्रम अधीक्षक (जो स्वयं निबंधन पदाधिकारी घोषित है) के द्वारा आधार सत्यापन के बाद किया जाएगा।

स्थापनाओं का पंजीयन

अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के नियोजन करने वाली सभी स्थापनाओं को सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के यहां रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रावधान के पीछे उद्देश्य यह है कि निमार्ण श्रमिकों के अस्थाई नियोजन तथा जोखिमपूर्ण कार्य की स्थिति में नियोजक द्वारा सुरक्षा के उचित उपाय एवं दायित्व वहन करने संबधी प्रावधानों को विनियमित किया जा सके।

जिलों में स्थापनाओं के पंजीयन के लिए पंजीयन पदाधिकारी श्रम अधीक्षक हैं। सभी नियोजको/संवेदकों का दायित्व है कि निर्माण कार्यों से जुड़े स्थापनाओं का Online निबंधन www.serviceonline.org पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्य स्थल पर कल्याणकारी मुख्य उपाय

इस अधिनियम में कल्याणकारी उपायों के अन्तर्गत निम्न प्रमुख प्रावधान किये गये हैं :-

(i) **काम के घण्टे तथा साप्ताहिक अवकाश** - निर्माण श्रमिकों से दिन में 9 घंटे (विश्राम अंतराल सहित) तथा सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं। सात दिन की प्रत्येक अवधि में एक विश्राम दिवस का प्रावधान।

(ii) **अतिकाल कार्य के लिए मजदूरी** - अतिकाल कार्य के लिए सामान्य दर से दुगुनी दर पर भुगतान।

(iii) **शिशु कक्ष** - ऐसी स्थापना जहाँ 50 से अधिक स्त्री कर्मकार सामान्यतः नियोजित की जाती हैं, स्त्री कर्मकारों के छः वर्ष से कम आयु के बालकों के लिये उपयुक्त कमरों की व्यवस्था (पर्याप्त रोशनी, समुचित संवातन, स्वच्छ दशा तथा प्रशिक्षित दाईयों के साथ)।

(iv) **कैंटीन** - ऐसी प्रत्येक स्थापना, जहाँ कम से कम 250 भवन कर्मकार सामान्य तौर पर नियोजित हैं, कर्मकारों के उपयोग के लिये कैन्टीन की व्यवस्था।

(v) **शौचालय** - प्रत्येक 25 महिला कर्मकार एवं प्रत्येक 25 पुरूष कर्मकार पर क्रमशः एक-एक शौचालय का प्रावधान किया जायेगा और यही व्यवस्था मूत्रालय पर भी लागू होगी।

कार्य स्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुख्य उपाय

(i) **अग्नि से सुरक्षा** - नियोजक द्वारा किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर पर्याप्त अग्निशमन तथा समुचित दबाव पर पर्याप्त जल की व्यवस्था। शोर तथा कंपन के बुरे प्रभाव से सुरक्षा के उपाय।

(ii) **आपातकालीन कार्य योजना** - ऐसे सन्निर्माण स्थल जहाँ 500 से अधिक भवन कर्मकार नियोजित किये जाते हैं, आपातकालीन कार्य योजना तैयार कर मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) **बाड़ की व्यवस्था** - गतिशील मशीनरी, खतरनाक और चलित पुर्जों के चारों ओर बाड़ की व्यवस्था।

(iv) **स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति** - 50 या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक स्थापना के लिये स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति का लिखित कथन तैयार कर मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिये प्रस्तुति।

(v) **सुरक्षा उपकरण** - सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूतों, सुरक्षा गॉगल्स, उँचाई पर कार्य करने के लिए सुरक्षा जाल आदि का उपयोग सुनिश्चित करना।

(vi) **एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था** - पाँच सौ या इससे कम कर्मकार होने की स्थिति में निर्माण स्थल में एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था या निकट के अस्पताल में एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था। जबकि पाँच सौ से अधिक कर्मकारों के नियोजन पर निर्माण स्थल में ही संपूर्ण सुविधायुक्त तथा प्रशिक्षित नर्स की देखरेख में एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था।

(vii) **एम्बुलेंस वैन की व्यवस्था** - नियोजक द्वारा निर्माण स्थल पर एम्बुलेंस वैन की व्यवस्था सुनिश्चित।

(viii) **प्राथमिक उपचार पेटिका** - निर्माण स्थल पर प्राथमिक उपचार पेटिका की व्यवस्था।

कल्याण कार्यक्रमों के संचालन के लिए निधि (Fund) की व्यवस्था

(i) कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण कामगारों के कल्याणार्थ कई कल्याण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार को उपकर (Cess) वसूल कर कल्याण कार्यक्रम चलाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(ii) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं निजी, व्यवसायिक निर्माण का कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) सेस कल्याण बोर्ड में जमा करना है।

(iii) वैसे नियोजक जो निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करते है, उसके लिए दण्ड प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत एक प्रतिशत 'सेस' की बकाया राशि पर प्रतिमाह अधिकतम दो प्रतिशत ब्याज के साथ देय होगा।

(iv) 'सेस' जमा नहीं करने पर वैसे व्यक्तियों के विरूद्ध जिनके ऊपर 'सेस' जमा करने का दायित्व हैं, फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके अन्तर्गत 06 माह की कैद एवं जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।

(v) बकाये 'सेस' की वसूली के लिए सर्टिफिकेट प्रोसिडिंग चलाया जायेगा और भू-लगान वसूली की तरह वसूली की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

(vi) निर्माणकर्त्ता को सेस राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना में पोषित चालू खाता संख्या-35059942218, IFSC Code–SBIN0018815 में सीधे जमा कर जमा किये गये उपकर का विवरण विहित प्रपत्र में बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। विहित प्रपत्र बोर्ड के वेबसाईट www.bocw.bihar.gov.in से Download किया जा सकता है। सेस की राशि Demand Draft के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है, जो Secretary, Bihar Building & Other Construction Workers Welfare Board के नाम देय एवं पटना में भुगतेय होगा।

अन्यान्य

- बोर्ड द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बोर्ड नियमावली के अनुसार अर्हता प्राप्त निबंधित निर्माण कामगारों/उनके आश्रितों को देय है।
- पारदर्शिता हेतु सभी कल्याणकारी योजनाओं की राशि लाभार्थी के बैंक खाता में RTGS/DBT पद्वति से अन्तरित की जाती है।
- किसी भी तरह के शिकायत होने पर फोन नं0-0612-2525558 अथवा बोर्ड के ई-मेल आई.डी.- biharbhawan111@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते है। योजनाओं के लाभ के लिए संबंधित जिला के श्रम अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है जिनका ई-मेल आई.डी. तथा मोबाईल संख्या बोर्ड के वेबसाईट - www.bocw.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

कल्याणकारी योजनाएँ

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हैं, जो निम्न है :-

मातृत्व लाभ

न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित महिला निर्माण कामगार को प्रथम दो प्रसवों के लिए प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि देय है। यह अनुदान स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है।

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्री को :-

(क) आई. आई. टी./ आई. आई. एम. तथा एम्स आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला होने पर पुरा ट्यूशन फीस

(ख) बी. टेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त ₹20,000/- (रूपये बीस हजार)

(ग) सरकारी पॉलिटेकनिक/ नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्यन के लिए एकमुश्त ₹10,000/- (रूपये दस हजार)

(घ) सरकारी आई.टी.आई या समकक्ष के लिए एकमुश्त ₹5,000/- (रूपये पाँच हजार)

नकद पुरस्कार

न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता के पश्चात निबंधित निर्माण कामगारों के अधिकतम दो संतानों को प्रति वर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालति दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ₹25 हजार, 70% से 79.99% अंक प्राप्त करने पर ₹15 हजार तथा 60% से 69.99% अंक प्राप्त करने पर ₹10 हजार का लाभ प्रदान किया जाएगा।

विवाह के लिए वित्तीय सहायता

₹50,000/- (पचास हजार) निबंधित पुरूष/ महिला कामगार को तीन वर्षों तक अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर, उनके दो व्यस्क पुत्रियों को अथवा स्वयं महिला सदस्य को, लेकिन दूसरी शादी करने वाले श्रमिक इस योजना के हकदार नहीं है। यह अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है।

साईकिल क्रय योजना

न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण करने के पश्चात साईकिल क्रय करने के उपरान्त अधिकतम ₹3,500/- (रूपये तीन हजार पांच सौ) साईकिल क्रय का रसीद उपलब्ध कराने पर।

औजार क्रय योजना

निबंधित निर्माण कामगार को कौशल उन्नयन के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षणोपरांत उनके प्रशिक्षण संबंधित ट्रेड का अधिकतम ₹15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) का औजार।

भवन मरम्मती अनुदान योजना

अधिकतम ₹20,000/- (रूपये बीस हजार) तीन वर्षों की सदस्यता पूरी होने पर, सिर्फ एक बार। लेकिन जिन्हें पूर्व में भवन निर्माण/ साईकिल एवं औजार के लिए राशि प्राप्त हो चुका है उन्हें यह लाभ नहीं दिया जायेगा।

लाभार्थी को चिकित्सा सहायता

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि। वैसे कामगार जिन्होने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशि प्राप्त नहीं की है, उन्हें असाध्य रोग की चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समतुल्य राशि।

वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना

इसका लाभ सभी निबंधित पात्र निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जिसके तहत प्रतिवर्ष ₹3,000/- (रूपये तीन हजार) की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में अंतरित की जायेगी।

पेंशन

न्यूनतम पाँच वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात् ₹1,000/- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह पेंशन देय होगा। बशर्ते कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ न मिला हो।

विकलांगता पेंशन

₹1,000/- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह, लकवा, कोढ़, टी.बी. अथवा दुर्घटना आदि में स्थायी विकलांगता की स्थिति में तथा स्थायी पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में एकमुश्त ₹75,000/- (रूपये पचहतर हजार) एवं आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एकमुश्त ₹50,000/- (रूपये पचास हजार) देय है।

दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

₹5000/- (रूपये पांच हजार) निबंधित निर्माण कामगार के आश्रित को।

मृत्यु लाभ

(क) स्वाभाविक मृत्यु में ₹2,00,000/- (रूपये दो लाख)

(ख) दुर्घटना मृत्यु में ₹4,00,000/- (रूपये चार लाख) यदि मृत्यु आपदा के समय होती है और आपदा प्रबंधन के द्वारा अनुदान दिया गया है, तो वैसी स्थिति में बोर्ड द्वारा मात्र ₹1,00,000/- (रूपये एक लाख रूपये) ही देय है।

परिवार पेंशन

पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत या ₹100/-(रूपये एक सौ) में से जो अधिक हो।

पितृत्व लाभ

न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर पुरूष कामगार, जिनकी पत्नी बोर्ड में निबंधित नहीं हो, को उनकी पत्नी के प्रथम दो प्रसवों के लिए ₹6,000/- (रूपये छः हजार) प्रति प्रसव की दर से देय होगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के निबंधित निर्माण श्रमिकों का इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित अंशदान की राशि का वहन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

वार्षिक वस्त्र सहायता योजना

इसका लाभ सभी निबंधित पात्र निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जिसके तहत प्रतिवर्ष ₹2,500/- (रूपये दो हजार पाँच सौ) की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में अंतरित की जायेगी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना, 2011 से अनाच्छादित बोर्ड में निबंधित निर्माण श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा पर हुए वास्तविक खर्च का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

कोविड–19 विशेष अनुदान योजना

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निबंधित सभी योग्य श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹2,000/- प्रति श्रमिक की दर से एकमुश्त राशि उनके बैंक खातों में अन्तरित की जाएगी।

कार्यालय पता

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

नियोजन भवन, पटना-800001

दूरभाष - 0612-2525558

Email - biharbhawan111@gmail.com

मा० मंत्री श्रम संसाधन विभाग कोषांग, दूरभाष : 0612-2528450

Website - www.bocw.bihar.gov.in

Patna Offset Press # 9693202981

उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार)		श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव	9431391754
सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर		श्री नीरज नयन	9934839431
सहायक श्रमायुक्त, छपरा		श्रीमती रत्ना प्रसाद	9431480001
बेतिया	श्रम अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण 01	श्री शशि कुमार सक्सेना	7428818793
	श्रम अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण 02	श्री शशि कुमार सक्सेना (अति0)	
मुजफ्फरपुर	श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर-01	श्री रणवीर रंजन (अति0)	9661506062
	श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर-02	श्री रणवीर रंजन	9661506062
वैशाली	श्रम अधीक्षक, वैशाली 01	श्री शशि शेखर	7070904842
	श्रम अधीक्षक, वैशाली 02	श्री सुजीत कुमार	9431600004
सीतामढ़ी	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी 01	श्री अविनाश कुमार	
	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी 02	श्री अविनाश कुमार (अति0)	
शिवहर	श्रम अधीक्षक, शिवहर	श्री रणवीर रंजन (अति0)	9661506062
मोतिहारी	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण 01	श्री राकेश रंजन	9386137117
	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण 02	श्री राकेश रंजन (अति0)	7992244006
	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण 03	श्री राकेश रंजन (अति0)	
छपरा (सारण)	श्रम अधीक्षक, छपरा 01	श्रीमती रत्ना प्रसाद (अति0)	9431480001
	श्रम अधीक्षक, छपरा 02	श्रीमती रत्ना प्रसाद (अति0)	9431480001
सिवान	श्रम अधीक्षक, सिवान 01	श्री अजय कुमार	9911617824
	श्रम अधीक्षक, सिवान 02	श्री अजय कुमार (अति0)	
गोपालगंज	श्रम अधीक्षक, गोपालगंज	श्री अजय कुमार (अति0)	9911617824
उप श्रमायुक्त, पटना		श्रीमती अपर्णा	9431494385
सहायक श्रमायुक्त, पटना		श्री रोहित राज सिंह	9973904546
सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर		श्री राजेश कुमार (अति0)	9472257609
पटना	श्रम अधीक्षक, पटना 01	श्री मनीष कुमार	9470094058
	श्रम अधीक्षक, पटना 02	श्री दिवाकर दुबे	9471449725 6201397247
	श्रम अधीक्षक, पटना 03	श्री सुबोध कुमार	9122474292
	श्रम अधीक्षक, पटना 04		9431084031
बाढ़	श्रम अधीक्षक, पटना 05	श्री जयन्त कुमार	7783874544
नालन्दा	श्रम अधीक्षक, नालन्दा 01	श्री यदुवंश नारायण पाठक	9430075933
	श्रम अधीक्षक, नालन्दा 02	श्री यदुवंश नारायण पाठक (अति0)	9430075933
भोजपुर	श्रम अधीक्षक, भोजपुर 01	श्रीमती प्रियंका	6265350554
	श्रम अधीक्षक, भोजपुर 02	श्रीमती प्रियंका (अति0)	6265350554
रोहतास	श्रम अधीक्षक, रोहतास 01	श्री सत्यप्रकाश	
	श्रम अधीक्षक, रोहतास 02	श्री सत्यप्रकाश (अति0)	
बक्सर	श्रम अधीक्षक, बक्सर	श्री गणेश कुमार झा	8544005002
कैमूर	श्रम अधीक्षक, कैमूर	श्री जावेद रहमत	8409310994
उप श्रमायुक्त, बेगूसराय (अतिरिक्त प्रभार)		श्रीमती कविता कुमारी	9006456988
बेगूसराय	श्रम अधीक्षक, बेगुसराय 01	श्री अनिल कुमार शर्मा	9973910744
	श्रम अधीक्षक, बगुसराय 02	श्री जयन्त कुमार (अति0)	9430595680
लखीसराय	श्रम अधीक्षक, लखीसराय	श्री घनश्याम रविदास	
शेखपुरा	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा	श्री विनय कुमार	8797147623
जमूई	श्रम अधीक्षक, जमूई	श्रीमती पुनम कुमारी	9934199500, 8987371040
खगड़िया	श्रम अधीक्षक, खगड़िया	श्री अनिल कुमार शर्मा (अति0)	9973910744
उप श्रमायुक्त, मुंगेर		श्रीमती कविता कुमारी	9006456988

सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर		श्री सुधांशु कुमार	8544189455
मुंगेर	श्रम अधीक्षक, मुंगेर	श्री रितु राज	7488052148
उप श्रमायुक्त, दरभंगा		श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव	9431391754
सहायक श्रमायुक्त, दरभंगा		श्री संजय कुमार	8544336636
सहायक श्रमायुक्त, सहरसा		श्री आदित्य राजहंस	9973756836
दरभंगा	श्रम अधीक्षक, दरभंगा 01	श्री जगन्नाथ पासवान	9506425297
	श्रम अधीक्षक दरभंगा 02	श्री जगन्नाथ पासवान (अति0)	9721622295
समस्तीपुर	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर 01	सुश्री नेहा आर्या	9472896522
	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर 02	सुश्री नेहा आर्या (अति0)	9472896522
मधुबनी	श्रम अधीक्षक, मधुबनी 01	श्री अश्विनी कुमार	8873337277
	श्रम अधीक्षक, मधुबनी 02	श्री अश्विनी कुमार (अति0)	8873337277
सहरसा	श्रम अधीक्षक, सहरसा	श्री उज्जवल कुमार पटेल	8709410510
सुपौल	श्रम अधीक्षक, सुपौल	श्री उज्जवल कुमार पटेल (अति0)	8709410510
मधेपुरा	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	श्री रोहित कुमार	7557729274
उप श्रमायुक्त, मगध		श्री विजय कुमार	9431472632
सहायक श्रमायुक्त, गया		श्री राजेश कुमार	9472257609
गया	श्रम अधीक्षक, गया 01	श्री चन्दन कुमार	9640591002
	श्रम अधीक्षक, गया 02	श्री चन्दन कुमार	9640591002
	श्रम अधीक्षक, गया 03	श्री चन्दन कुमार	9640591002
जहानाबाद	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद	श्री जयन्त कुमार (अति0)	7783874544
अरवल	श्रम अधीक्षक, अरवल	श्रीमती सुजाता सिंह	9334510985
औरंगाबाद	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद	मो0 फिरोज अहमद	9534957119
नवादा	श्रम अधीक्षक, नवादा	श्री यदुवंश नारायण पाठक (अति0)	9430075933
उप श्रमायुक्त, भागलपुर		श्री गोविन्द	9431427099
सहायक श्रमायुक्त, कटिहार/पूर्णियां		श्री सुधांशु कुमार (अति0)	8544189455
सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर		मो0 आफताब आलम	7631499034
भागलपुर	श्रम अधीक्षक, भागलपुर 01	श्री विनोद कुमार प्रसाद	9234776033
	श्रम अधीक्षक, भागलपुर 02	श्री विनोद कुमार प्रसाद (अति0)	9234776033
बांका	श्रम अधीक्षक, बांका	श्री विनोद कुमार प्रसाद (अति0)	9234776033
पूर्णियां	श्रम अधीक्षक, पूर्णियां 01	श्री आलोक रंजन	9473451067
	श्रम अधीक्षक, पूर्णियां 02	श्री आलोक रंजन (अति0)	
अररिया	श्रम अधीक्षक, अररिया 01	श्री निखिल कुमार रंजन	9599871931
	श्रम अधीक्षक, अररिया 02	श्री निखिल कुमार रंजन (अति0)	9599871931
किशनगंज	श्रम अधीक्षक, किशनगंज	श्री बीरेन्द्र कुमार महतो	8757009599
कटिहार	श्रम अधीक्षक, कटिहार 01	श्री बीरेन्द्र कुमार महतो (अति0)	8757009599
	श्रम अधीक्षक, कटिहार 02	श्री बीरेन्द्र कुमार महतो (अति0)	8757009599